भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 666
दिनांक 28.11.2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

केरल में जल जीवन मिशन के संबंध में प्राप्त लक्ष्य

†666. श्री एन. के. प्रेमचन्द्रनः

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या केरल सरकार ने जल जीवन मिशन (जेजेएम) की सहमत शर्तों के अनुसार लक्ष्य प्राप्त कर लिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
(ख) क्या केरल सरकार ने जेजेएम के अंतर्गत राज्य हिस्से का अंशदान दिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है।
(ग) केरल में जल जीवन मिशन के लिए केन्द्र के हिस्से के रूप में केन्द्र सरकार का अब तक कुल योगदान कितना है;
(घ) आज की तिथि तक जेजेएम के लिए केरल सरकार का कुल अंशदान कितना है;
(ङ) क्या केन्द्र सरकार ने जेजेएम में राज्य के हिस्से के अंशदान के लिए केरल जल प्राधिकरण के माध्यम से विदेशी अभिकरणों से धन उधार लेने का प्रस्ताव किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है; और
(च) क्या केन्द्र सरकार के ध्यान में यह बात आई है कि केरल सरकार ने जल जीवन मिशन के अंतर्गत राज्य अंशदान में धन पूरा करने के लिए विदेशी अभिकरणों से धन उधार लेने का प्रस्ताव किया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

राज्य मंत्री, जल शक्ति
(श्री वी. सोमण्णा)

(क) भारत सरकार देश के सभी ग्रामीण परिवारों को नियमित और दीर्घकालिक आधार पर निर्धारित गुणवत्ता वाली पर्याप्त मात्रा में सुरक्षित और पीने योग्य नल जल आपूर्ति का प्रावधान करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस दिशा में, जल जीवन मिशन (जेजेएम) अगस्त 2019 में शुरू किया गया था, जिसे राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की भागीदारी में लागू किया जाना है। भारत सरकार तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों में सहायता करती है।

जेजेएम के शुभारंभ के बाद से देश में ग्रामीण परिवारों की नल जल तक पहुंच बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। अगस्त 2019 में मिशन की शुरुआत में, केवल 3.23 करोड़ ग्रामीण परिवारों के पास नल जल कनेक्शन होने की सूचना थी। अब तक, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, लगभग 12.06 करोड़ और ग्रामीण परिवारों को जेजेएम के तहत नल जल कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। इस प्रकार, 23.11.2024 तक, देश के 19.34 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से 15.29 करोड़ (79.09%) से अधिक ग्रामीण परिवारों के पास उनके घरों में नल जल आपूर्ति होने की सूचना है।

केरल राज्य सरकार द्वारा सूचित किए गए अनुसार, अगस्त 2019 में जेजेएम के शुभारंभ के समय, 16.64 लाख ग्रामीण परिवारों के पास नल जल कनेक्शन थे। तब से, 21.61 लाख और ग्रामीण परिवारों को नल जल कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। इस प्रकार, 23.11.2024 तक, केरल में 38.25 लाख (54%) से अधिक ग्रामीण परिवारों के पास नल जल आपूर्ति का प्रावधान उपलब्ध है।

(ख) से (घ) राज्य सरकार ने राज्य अंश के तहत 5398.73 करोड़ रुपये का कुल व्यय किया है। जेजेएम के तहत आहरित कुल केंद्रीय निधि अंश 5610.31 करोड़ रुपये है। वर्ष 2019-20, 2020-21, 2021-22, 2022-23, 2023-24 और 2024-25 (23.11.2024 तक) में जेजेएम के तहत केरल में राज्य अंश सहित आवंटित केंद्रीय निधि, राज्य द्वारा आहरित निधि और संसूचित उपयोग का विवरण निम्नानुसार है:

(राशि करोड़ रु. में)

वर्ष	केंदीय अंश					राज्य अंश के तहत व्यय
	अथ शेष	आवंटन	आहरित निधि	उपलब्ध निधि	संसूचित उपयोग	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) =(2)+(4)	(6)	(7)
2019-20	2.58	248.76	101.29	103.87	62.69	57.23
2020-21	41.18	404.24	303.18	344.36	304.29	311.25
2021-22	40.07	1,804.59	1,353.44	1,393.51	957.44	1,059.57
2022-23	436.08	2,206.54	2,206.54	2,642.62	1,741.93	1,741.68
2023-24	900.69	1,342.36	671.18	1,571.87	1,465.41	1,448.53
2024-25	106.45	1,949.36	974.68	1,081.13	792.00	780.47
कुल	--	--	**5,610.31**	--	**5,323.76**	**5,398.73**

स्रोत: जेजेएम-आईएमआईएस

(ङ) और (च) जी, नहीं।

*****